रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2005/आश्विन 14, 1927
No. 271] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2005/ASVINA 14, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2005

सं. 57 (आर ई-2005)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/ईडीआई कस्टम/एएम06/पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—09 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) पैरा 4.19 और 4.40 में निम्नलिखित प्रावधानों को हटा दिया गया है :—

"आयात और निर्यात के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित पत्तनों को एकल पत्तन माना जायेगा ;

(i) मुम्बई समुद्री पत्तन, न्हावा शेवा और मुम्बई हवाई अड्डा

(ii) दिल्ली हवाई अड्डा और दिल्ली में आई सी डी

(iii) कोलकाता समुद्री पत्तन, कोलकाता हवाई अड्डा

(iv) चेन्नई हवाई अड्डा और चेन्नई समुद्री पत्तन

(v) बंगलौर हवाई अड्डा और बंगलौर आई सी डी

(vi) हैदराबाद हवाई अड्डा और हैदराबाद आई सी डी"

2. न्हावा शेवा को पैराग्राफ 4.19 और 4.40 में उल्लिखित समुद्री पत्तनों की सूची में जोड़ा जायेगा।

3. पैराग्राफ 4.49 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

"01-10-2005 से पूर्व के ईडीआई पोत लदान बिलों तथा गैर-ईडीआई पोत लदान बिलों के मामले में, डी ई पी बी जारी करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत लदान बिल संख्या (संख्याएं) और तारीख (तारीखें), पोतलदान बिल (बिलों) के अनुसार भारतीय रुपये में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा निर्यात उत्पादों के ब्यौरे डी ई पी बी पर पृष्ठांकित किये गये हैं। ऐसे डी ई पी बी के मद्दे आयात की अनुमति देने से पहले सीमाशुल्क कार्यालय इस बात की जाँच करेगा कि डी ई पी बी पर यथा उल्लिखित निर्यात के ब्यौरे उनके रिकार्डों के अनुसार हैं। तथापि, ई डी आई पत्तनों से 01-10-2005 को अथवा उसके पश्चात् जारी ई डी आई पोत लदान बिलों के

मामले में जिन्हें सीमाशुल्क कार्यालय से डी जी एफ टी को इलेक्ट्रानिक तरीके से हस्तान्तरित किया जा रहा है, जारी डी ई पी बी को इलेक्ट्रानिक मेसेज एक्सचेंज सिस्टम के जरिये पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क कार्यालय को भेजा जायेगा तथा डी ई पी बी को इलेक्ट्रानिक तरीके से पंजीकरण पत्तन पर पंजीकृत किया जायेगा और ऐसे डी ई पी बी के मद्दे आयात की अनुमति देने से पहले शिपिंग बिल जिनके मद्दे ऐसे डी ई पी बी जारी किये गये हैं, की जांच नहीं होगी।''।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th October, 2005

No. 57(RE-2005)/2004—2009

F. No. 01/94/180/EDI Customs/AM06/PC-I.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I) :

1. In Paragraphs 4.19 and 4.40, the following provision stands deleted :—

"The following ports would be treated as a single port for the purposes of imports and exports :

i. Mumbai Seaport, Nhava Sheva & Mumbai Airport

ii. Delhi Airport and ICDs in Delhi

iii. Kolkata Seaport, Kolkata Airport

iv. Chennai Airport and Chennai Seaport

v. Bangalore Airport and Bangalore ICD

vi. Hyderabad Airport and Hyderabad ICD."

2. Nhava Sheva shall be added in the list of Seaports mentioned in paragraphs 4.19 and 4.40.

3. Paragraph 4.49 stands amended as follows :

"In case of EDI shipping bills before 01-10-2005 and non-EDI shipping bills, the licensing authority shall ensure that while issuing the DEPB, the Shipping Bill No(s) and date(s), FOB value in Indian rupees as per Shipping Bill(s) and description of export product are endorsed on the DEPB. Before allowing the imports against such DEPBs, the Customs shall verify that the details of the exports, as given on the DEPB, are as per their records. However, in case of EDI shipping bills issued on or after 01-10-2005 from EDI ports which are being transmitted electronically by Customs to DGFT, the DEPBs issued shall be sent to Customs at the Port of Registration thro' an electronic message exchange system and the DEPBs shall be registered at the Port of registration electronically and no verification of Shipping Bills against which such DEPBs have been issued will be required before allowing imports against such DEPBs.".

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.